न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

अपील संख्या — 22 / 2002

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
मोटाराम पुत्र भुदरजी,जाति चौधरी, निवासी मांडवला,तहसील व जिला जालोर		1.हडमतसिंह पुत्र परतापसिंह , 2.हुकमसिंह पुत्र परतापसिंह जाति राजपूत,निवासी मांडवला, तहसील जालोर

अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जालोर,दिनांक 28.10.2002(प्रकरण सं.4 / 2002)

उपस्थिति :–
1.श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित,अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2.श्री रमेश सोलंकी, अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1से 2 की ओर से।

निर्णय — दिनांक 9.7.2019

1. अपीलांट के अनुसार अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि यह प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल के निगरानी सं.निगरानी / टीए / 87 / 2003 / जालोर(आई डी नं.3360 / 2003) ,हडमतसिंह, वगैराह बनाम मोटाराम में निर्णय दिनांक 24.9.2008को रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर एवं यदि आवश्यक हो तो अन्य राजस्व अभिलेख का अवलोकन कर प्रकरण का निस्तारण करे।

तहसीलदार जालोर ने अपीलांट व अन्य के खातेदारी के व कब्जासुद खेत में से होकर रेस्पोडेन्ट के आने का रास्ता होने बाबत् गलत व कानून के विरूद्ध निर्णय जैर अपील पारित किया है। ग्राम पंचायत मांडवला ने 45 दिन की अवधि में बिना अधिकार के फैसला नहीं दिया फिर भी तहसीलदार ने ग्राम पंचायत के फैसले को आधार बनाकर निर्णय दिनांक 28.10.2002 पारित किया है। ग्राम पंचायत ने अपीलांट को नोटिस दिये बिना उसकी गैर हाजिरी में मौका फर्द गलत तौर पर बनाई है,इस मौका फर्द से प्रभावित होकर जो फैसला दिया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को गवाह ,सबूत पेश करने ,तलब करने का अवसर नही दिया।रेस्पोडेन्ट के जमीन में जाने का दूसरा रास्ता मौके पर मौजूद

है।अपीलांट के खेत में कोई रास्ता मौजूद नही है ।अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व उसके साक्षीगणों के शपथपत्रों पर कोई ध्यान नही दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर फैसला जैर अपील निरस्त करावे व रेस्पोडेन्ट का प्रार्थनापत्र बाबत् रास्ता खोलने खारिज करावे। अपीलांट ने अपील में फहरिस्त के साथ निर्णय दिनांक 28.10.2002 की प्रति पेश की ,इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया। बाद सुनवाई के निर्णय दिनांक 28.5.2003 को प्रकरण तहसीलदार जालोर को रिमाण्ड किया कि प्रथम सैटलमेन्ट के वक्त के पुरान खसरा नम्बर 357(हाल खसरा नम्बर 947)के रैकार्ड व मौका की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार नये सिरे से आदेश पारित करे,जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स मोटाराम ,हुकमसिंह ने निगरानी सं. निगरानी/टीए/87/2003/जालोर (आई डी नं.3360/2003) ,हडमतसिंह, वगैराह बनाम मोटाराम पेश की जिसमें निर्णय दिनांक 24.9.2008 द्वारा प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है। इस पर अपील पुनः दिनांक 18.11.2008 को दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया गया।

2 इस अपील में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जालोर को रैकार्ड जरिये पत्र कमांक/कोर्ट/1049/28.7.10,1090/4.8.10, 472/18.10.10, 1648/ 8.11.10, 1756/16.11.10, 190/15.12.10, 60/12.1.11, 30/11.1.12, 449/17.4.12, 809/28.6.12, 854/10.7.12, 1007/6.7.12,1328/12.9.12, 1671/30.10.12,अ.शा.पत्रांक 392/18.2.13,,पत्रांक 673/9.4.13, 1781/ 24.10.13, 103/21.1.14, 412/10.4.14,, 1296/31.10.14,नोटिस कमांक 896/8.7.15, 1503/3.11.15, 1555/17.11.15, 1613/27.11.15, 1656/ 9.12.15,1236/28.6.16,1607/11.11.16,165/8.3.17,975/30.6.17, 1504/ 8.11.17, 398/7.5.18 से तलब किया गया लेकिन करीब 9 वर्ष के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय का रैकार्ड प्राप्त नही हुआ है। यह प्रकरण करीब 10 वर्ष से अधिक का पुराना है। राज्य सरकार द्वारा पुराने प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश है। अतः इस अपील में रैकार्ड बाबत् यह कहा जाता रहा हैं कि उक्त पत्रावली सं. 4/2002 माननीय राजस्व मण्डल से प्राप्त नहीं हुई है जबकि माननीय राजस्व मण्डल से निगरानी में दिनांक 24.9.2008 को निर्णय हो चुका हैं , इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल में प्रकरण विचाराधीन नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सबंधित रैकार्ड नही भिजवाने से सबंधित के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट वकील ने

बहस में बताया कि तहसीलदार जालोर ने अपीलांट व अन्य के खातेदारी के व कब्जासुद खेत में से होकर रेस्पोडेन्ट के आने का रास्ता होने बाबत् गलत व कानून के विरूद्ध निर्णय जैर अपील पारित किया है। ग्राम पंचायत मांडवला ने 45 दिन की अवधि में बिना अधिकार के फैसला नहीं दिया फिर भी तहसीलदार ने ग्राम पंचायत के फैसले को आधार बनाकर निर्णय दिनांक 28.10.2002 पारित किया है। ग्राम पंचायत ने अपीलांट को नोटिस दिये बिना उसकी गैर हाजिरी में मौका फर्द गलत तौर पर बनाई है,इस मौका फर्द से प्रभावित होकर जो फैसला दिया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को गवाह ,सबूत पेश करने ,तलब करने का अवसर नही दिया।रेस्पोडेन्ट के जमीन में जाने का दूसरा रास्ता मौके पर मौजूद है।अपीलांट के खेत में कोई रास्ता मौजूद नही है ।अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व उसके साक्षीगणों के शपथपत्रों पर कोई ध्यान नही दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर फैसला जैर अपील निरस्त करावे व रेस्पोडेन्ट का प्रार्थनापत्र बाबत् रास्ता खोलने खारिज करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्टस सं.1 व 2 के वकील ने बताया कि माननीय राजस्व मण्डल ने इस आशय के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया हैं कि 28.5.2003 का आदेश निरस्त कर,उपलब्ध साक्ष्य व राजस्व रैकार्ड के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करे। गत खसरा नम्बर 551 गैर मुमकिन रास्ता जो रि–सैटलमेन्ट में वर्ष 1991 में राजस्व रैकार्ड में रास्ता दर्ज किया है जो आज भी मौके पर चल रहा है जिसके नये खसरा नम्बर 1848,1849 व 1850 जो गैर मुमकिन रास्ता है ,राजस्व रैकार्ड में भी दर्ज है,जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 1850 रकबा 0.20 हेक्टर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है व अब भी मौके पर चल रहा है। इस न्यायालय ने भी रास्ता माना है तथा माननीय राजस्व मण्डल ने भी गैर मुमकिन रास्ता होना माना है तथा सुखाचार बहाल रखने के भी आदेश पारित किये थे,ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार जालोर के आदेश दिनांक 28.10.2002 की अपील इस न्यायालय में मोटाराम की ओर से उनके वकील ने पेश की जो अपील सं. 22/2002,मोटाराम बनाम हडमतसिंह वगैराह, है जिसमें निर्णय दिनांक 28.5.2003 के द्वारा प्रकरण तहसीलदार जालोर को रिमाण्ड किया गया। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.5.2003 के विरूद्ध हडमतसिंह वगैराह ने माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में निगरानी पेश की गई जो निगरानी/टी.ए./87/2003/जालोर(आई.डी.नं.3360/2003),हडमतसिंह वगैराह बनाम मोटाराम है जिसमें निर्णय दिनांक 24.9.2008 द्वारा प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड किया कि वे अपने स्तर पर पत्रावली पर उपलब्ध

साक्ष्य के आधार पर एवं यदि आवश्यक हो तो अन्य राजस्व अभिलेख का अवलोकन कर प्रकरण का निस्तारण करे। पत्रावली दिनांक 18.11.08 का पुनः दर्ज की गई। हालांकि इस अपील में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जालोर की धारा 251 राज.काश्तकारी अधिनियम की मूल पत्रावली सं. 4/2002 बार–बार लिखने के उपरान्त भी प्राप्त नही हुई हैं। अतःपत्रावली में उपलब्ध रैकार्ड के आधार पर इस अपील का निस्तारण किया जाता है। तहसीलदार जालोर के धारा 251 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रकरण सं. 4/2002,हडमतसिंह वगैराह बनाम मोटाराम, निर्णय दिनांक 28.10.2002 के पृष्ठ सं. 3 के पैरा सं.2 में इस तथ्य का अंकन हैं कि वर्तमान खसरा नम्बर 1850 जो गत खसरा नम्बर 551 मी. तथा 552 मी.से बना है। तथा खसरा नम्बर 1850 सैटलमेन्ट रैकार्ड में रास्ता है तथा पक्षकारान् के मध्य पूर्व में भी विवाद खसरा नम्बर 551 मी. तथा 552मी.को लेकर था। इसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 1850 रकबा 0.20 हेक्टर ,गैर मुमकिन रास्ता से अवरोध हटाये जाने का आदेश दिनांक 28.10.2000 पारित किया। जमाबंदी संवत् 2070–2073 (मौजा माण्डवला) में वर्तमान खसरा नम्बर 1850 रकबा 0.20 हेक्टर,गैर मुमकिन रास्ता अंकित हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रैकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 1850,रकबा 0.20 हेक्टर,गैर मुमकिन रास्ता की सैटलमेन्ट प्रविष्ठियों का किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाना नही पाया गया हैं।

आदेश

अपीलांट द्वारा तहसीलदार जालोर के आदेश दिनांक 28.10.2002 (मु.नं.4/2002) के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

S.d. 9/7/19
(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 9.7.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

S.d. 9/7/19
(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.18 15:57:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: